

अधिसूचना

एस० ओ० संख्या-02/रेगु.-06-600-1/2021- पटना, दिनांक जनवरी, 2022

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली-1978 के नियम-17
(1) को निम्न रूप से संशोधित किया जायेगा :-

" 17. (1) धारा 15 और 16 के अधीन-अनुज्ञप्तियों के दिये या रवीकृत किये जाने के लिए देय फीस निम्नलिखित होंगी :-

- (1) कारखाने की अधिभोगी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 50,000/- रुपये।
- (2) किसी कारखाने से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 50,000/- रुपये।
- (3) किसी यूनिट के स्वामी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 2,000/- रुपये।
- (4) यूनिट से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 2,000/- रुपये। "

2 यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ० एन. सरवण कुमार)

सचिव

एस० ओ० संख्या-02/रेगु.-06-600-1/2021- पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना में एस०ओ० संख्या भर कर अविलम्ब गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 (पाँच) सौ प्रतियाँ गन्ना उद्योग विभाग, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को अतिशीघ्र भेजने की कृपा की जाय।

सचिव

एस० ओ० संख्या-02/रेगु.-06-600-1/2021- पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि:-ईखायुक्त, बिहार, पटना/सभी संबंधित क्षेत्रीय विकास परिषदों के अध्यक्ष-सह-जिला पदाधिकारी/सचिव-सह-ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सभी सहायक ईखायुक्त/बजट शाखा/सांख्यिकी शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

एस० ओ० संख्या-02/रेगु.-06-600-1/2021- पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि:-सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों/निजी क्षेत्र की सभी चीनी मिलें/बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन/बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स/सी० आई०आई०, पटना क्षेत्र/बिहार सुगर मिल एसोसियेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

क०प०उ०.....2

एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-06-600-1/2021-~~78~~ पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2022
 प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
 सचिव

एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-06-600-1/2021-~~78~~ पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2022
 प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान
 सचिव/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
 सचिव

एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-06-600-1/2021-~~78~~ पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2022
 प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आन्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
 सचिव

एस० ओ० संख्या-02/रेगु०-06-600-1/2021-~~78~~ पटना, दिनांक 25 जनवरी, 2022
 प्रतिलिपि-आई. टी. प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट
 पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(Signature)
 सचिव